# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1850/2019**

**एवं**

**विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 1/2025**

मुकेश चन्द सैनी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
4. जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर कार्यालय, करौली।
5. अभय कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सहायक कार्यालय अधीक्षक) वर्तमान में कार्यरत कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 18.07.2019

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

**निजी प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से** : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, अभिभाषक

**एवं**

**अपील संख्या :– 3877/2019**

अभय कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
4. श्री मुकेश चन्द सैनी, वरिष्ठ सहायक, संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 07.10.2019

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सलीम खान, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

**आदेश की दिनांक** : 25.07.2025

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

अपील संख्या 1850/2019 के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी श्री मुकेश चन्द सैनी की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर में हुई थी और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2005 को भरतपुर संभाग कार्यालय स्वीकृत किया गया तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिये इच्छित कनिष्ठ लिपिकों को भरतपुर संभाग कार्यालय में पदस्थापन के लिये प्रार्थना पत्र मांगे गये, जिस पर अपीलार्थी द्वारा एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा द्वारा सहमति देने पर संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 19.11.2005 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन उप तहसील बहरावण्डा कलां, तहसील खण्डार से संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर में किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा का पदस्थापन जिला कलेक्टर कार्यालय, करौली से संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर में किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने माह नवम्बर, 2005 में कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 07.02.2011 द्वारा संभागीय आयुक्त भरतपुर ने वरिष्ठता के स्थान बाबत् विकल्प चाहे गये (अनुलग्नक–2) जिसकी पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 ने दिनांक 24.02.2011 को विकल्प पत्र प्रस्तुत कर अपनी वरिष्ठता सूची का निर्धारण जिला कलेक्टर कार्यालय, करौली में करने हेतु प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–3) और अपीलार्थी ने दिनांक 20.02.2011 को विकल्प पत्र प्रस्तुत कर अपनी वरिष्ठता का निर्धारण संभागीय आयुक्त कार्यालय में करने हेतु प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–4)। इस प्रकार अपीलार्थी का लियन संभागीय आयुक्त कार्यालय में निरंतर रहा और जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा अपीलार्थी का लियन समाप्त कर दिया गया (अनुलग्नक–5)। राज्य सरकार व राजस्व बोर्ड द्वारा स्थायी पद स्वीकृत करने के पश्चात् अजय कुमार सैनी को संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश दिनांक 31.01.2014 के आदेश द्वारा दिनांक 01.01.2014 को स्थायी किया गया (अनुलग्नक–6) तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा की वरिष्ठता का निर्धारण जिला कलेक्टर, करौली में रहने के कारण संभागीय आयुक्त कार्यालय का कार्मिक नहीं रहा, जिसके कारण उसे संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा कभी स्थायी नहीं किया गया। आदेश दिनांक 09.11.2016 को दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार कनिष्ठ लिपिकों की आपत्तियां मांगने के पश्चात वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर अंकित है। आदेश दिनांक 08.06.2017 द्वारा दिनांक 01.04.2017 के संदर्भ में कनिष्ठ सहायकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई, उसमें अपीलार्थी क्रम संख्या–2 पर है। निजी प्रत्यर्थी का नाम उसमें नहीं है (अनुलग्नक–7)। सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के

अंतर्गत संभाग स्तर की गठित डीपीसी द्वारा दिनांक 30.08.2016 के अनुसार अपीलार्थी को लिपिक ग्रेड द्वितीय से लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। (अनुलग्नक–8) निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति करौली में थी और उसका लियन जिला करौली में चल रहा है तथा वर्ष 2012 में वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और उसका पदस्थापन उप जिला कलेक्टर कार्यालय, हिण्डौन में किया गया और आदेश दिनांक 13.03.2014 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा को लोकसभा चुनाव, 2014 के कार्य सम्पादन हेतु कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में लगाया गया तथा आदेश दिनांक 18.05.2015 के द्वारा उसे वरिष्ठ लिपिक के पद विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर रखा गया। आदेश दिनांक 10.11. 2015 के द्वारा जिला स्तर पर गठित डीपीसी द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध जिला कलक्टर करौली द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा को सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया एवं पदस्थापन संभागीय आयुक्त भरतपुर में रखा गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 निरंतर संभागीय आयुक्त भरतपुर कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित रहा। जिला कलक्टर करौली के पत्र दिनांक 17.11.2017 द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को संभागीय आयुक्त कार्यालय से कार्यमुक्त करने हेतु लिखा, जिसमें यह अंकित किया कि श्री अभय कुमार शर्मा मूलतः कलेक्ट्रेट का कार्मिक है एवं प्रतिनियुक्ति पर संभागीय आयुक्त कार्यालय में है (अनुलग्नक–9)।

उनका आगे यह भी कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 ने स्वयं पत्र दिनांक 20.02.2015 (अनुलग्नक–10) द्वारा यह लिखा कि प्रार्थी की पदोन्नति जिला कलेक्टर, करौली द्वारा की गई है, इसलिये जिला कलेक्टर में पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन कार्यालय संभागीय आयुक्त में पदस्थापन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को नहीं है। संभागीय आयुक्त कार्यालय में कुल मंत्रालयिक कर्मचारियों के 13 पद स्वीकृत किये गये, जो स्थायी प्रकृति के हैं और अपीलार्थी एवं अजय कुमार सैनी, वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत होने के कारण उक्त कार्मिकों को पदोन्नति का अधिकार प्राप्त है (अनुलग्नक–11)। उनका यह भी तर्क है कि जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था कि जिला कलेक्टर, भरतपुर में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों का स्थानान्तरण जिला धौलपुर से भरतपुर किया गया है, के संबंध में धौलपुर जिले से भरतपुर जिले को स्थानांतरित वरिष्ठ सहायकों जिनका भरतपुर जिले में रोका जाये या धौलपुर वापस भेजा जाये। जिस पर राजस्व मण्डल, अजमेर

ने आदेश दिनांक 04.12.2018 को जिला कलेक्टर, भरतपुर को निर्देश दिये कि वरिष्ठ सहायक का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है। इनके एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। उनका कैडर क्लोज है एवं पद पदोन्नति का होने से वरिष्ठता का विवाद उत्पन्न होता है। अतः उक्त कार्मिकों को पुनः धौलपुर भिजवाना उचित होगा (अनुलग्नक–12)। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 जिसे अनुचित रूप से पदोन्नति पदों के विरूद्ध पदस्थापित कर रखा है एवं उसके समायोजन के लिए पत्र व्यवहार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने दिनांक 15.05.2018 एवं 23.08.2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि नियम 1999 के प्रावधानानुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाला पद है और पद रिक्त होने के बावजूद रिक्तियों का निर्धारण न करते हुये पदोन्नति प्रक्रिया नहीं की जा रही है और अनुचित रूप से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कर रखा है। अतः रिक्तियों का निर्धारण करते हुये पदोन्नति की प्रक्रिया करें (अनुलग्नक–13 एवं 14)। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं लिपिक वर्गीय अधिनियम 1999 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को पदोन्नति पद पर संभागीय आयुक्त कार्यालय समायोजित कर लिया जावे क्योंकि पदोन्नति पद पर समायोजन का प्रावधान नहीं है। संभागीय आयुक्त द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के लियन के संबंध में राजस्व मण्डल को पत्र/स्मरण पत्र लिखें (अनुलग्नक–15)। राजस्व मण्डल ने इनको पत्र दिनांक 29.05.2019 द्वारा निर्देश दिए कि वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक कार्यालय अधीक्षक का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद होने से स्थानान्तरण होने पर भी इनका लियन कार्मिक के पैतृक विभाग में ही रहता है। यह मात्र पद समाप्ति एवं राज्यादेश से समायोजन के उपरान्त ही संभव हो सकता है। समायोजन के संबंध में राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करावें (अनुलग्नक–16)। प्रत्यर्थी संख्या 5 को अवैध एवं अनुचित रूप से फायदा पंहुचाने के लिए प्रत्यर्थीगण लगातार पदोन्नत कर रहे हैं। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरूद्ध तीन संतान होने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसका संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा जांच की गई और दिनांक 06.02.2018 को लोकायुक्त को जवाब प्रस्तुत किया गया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के दिनांक 01.06.2002 के बाद तीन संतान हुई और उसके द्वारा यह तथ्य छिपाया गया (अनुलग्नक–17)। परंतु अनियमित रूप से उसकी पदोन्नति की गई। उनका कथन है कि संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर के पास कार्यालय अधीक्षक का पद रिक्त

होने के बावजूद रिक्तियों का निर्धारण नहीं करके अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा रहा है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कर रखा है तथा समायोजित करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके कारण अपीलार्थी को रिक्त पद पर पदोन्नति से वंचित होना पडेगा, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद की वर्ष 2016–17 से प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों का निर्धारण करें तथा निर्धारण करने के पश्चात् जिस वर्ष में सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद रिक्त हैं, उस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर विचार करते हुये उसे पदोन्नति प्रदान की जावे और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में समायोजन नहीं किया जावे तथा तीसरी संतान होने के कारण पदावनत की कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.11.2005 के द्वारा जिला सवाई माधोपुर से संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर के रिक्त पद पर किया गया था और आदेश दिनांक 01.10.2012 के द्वारा कलेक्टर, सवाई माधोपुर के पत्र द्वारा अपीलार्थी के वरिष्ठता का निर्धारण कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में किये जाने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी अस्थायी कनिष्ठ लिपिक को दिनांक 01.04.2014 संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा स्थायी किया गया तथा श्री अभय कुमार शर्मा के द्वारा दिनांक 24.02.2011 के द्वारा अपनी वरिष्ठता का निर्धारण जिला कलेक्टर कार्यालय करौली में चाहने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 09.11.2016 के द्वारा वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां चाही गई, परंतु कोई आपत्ति नहीं करने पर वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें श्री अभय कुमार शर्मा का नाम अंकित नहीं था और संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा अपीलार्थी एवं श्री अजय कुमार सैनी को वर्ष 2014–15 के विरूद्ध लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा की पदोन्नति लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर कार्यालय करौली के आदेश दिनांक 30.10.2012 द्वारा की गई। श्री शर्मा की सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 10.11.2015 द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई। कलक्टर करौली ने पत्र दिनांक 17.11.2011 द्वारा श्री अभय कुमार शर्मा के

मूलतः कलक्टर करौली का कार्मिक होने से प्रतिनियुक्ति स्थान से कार्यमुक्त करने हेतु संभागीय आयुक्त भरतपुर को लिखा (अनुलग्नक–आर/1)। इसका राजस्व मण्डल अजमेर से मार्गदर्शन चाहा गया। श्री अभय कुमार शर्मा के लियन के संबंध में मार्गदर्शन लिया गया जो राजस्व मण्डल से पत्र दिनांक 29.05.2019 द्वारा प्राप्त हुआ (अनुलग्नक–आर/2)। जिस पर राज्य सरकार को पत्र लिखकर मार्गदर्शन चाहा गया (अनुलग्नक–आर/3)। इस प्रकार संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर द्वारा श्री अभय कुमार शर्मा को कोई पदोन्नति नहीं दी गई एवं सभी पदोन्नतियां कलक्टर करौली द्वारा प्रदान की गई है और श्री अभय कुमार शर्मा को तत्कालीन संभागीय आयुक्त द्वारा सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थापित करने का कारण एवं अपीलार्थी व अन्य द्वारा आपत्ति करने का कारण उक्त कार्यवाही लंबित है। राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 27.09.2019 की पालना में श्री शर्मा को कलक्टर कार्यालय करौली हेतु दिनांक 29.09.2019 को कार्यमुक्त किया गया (अनुलग्नक–आर/4–5)। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा को दी गई पदोन्नति के समय तीसरी संतान संबंधी कोई भी परिवाद/सूचना तत्समय सक्षम अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई और प्रकरण में जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को भिजवाई गई है तथा अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रकार अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह निवेदन किया कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 27.05.2020 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं आदेश दिनांक 24.06.2022 द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने से अपील सारहीन हो गई है, जिसे अपीलार्थी ने रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया। सेवा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति 16.12.1994 एवं अपीलार्थी की नियुक्ति 17.04.2003 को हुई (अनुलग्नक–आर/5–1)। अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 17.04.2003 के द्वारा एलडीसी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हुई थी और आदेश दिनांक 04.04. 2016 के द्वारा उसे निलंबित किया गया था (अनुलग्नक–आर/5–2)। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 07.02.2011 के संदर्भ में संभागीय आयुक्त कार्यालय के लिये कार्मिक की सहमति/असहमति महत्वहीन है। चूंकि संभागीय आयुक्त कार्यालय के मंत्रालयिक पद तत्समय स्थायी पद नहीं थे। अपीलार्थी का यह भी कथन सही नहीं है कि मात्र 2 कार्मिकों ने ही सहमति पत्र प्रस्तुत किये अपितु राजेश शर्मा ने भी सहमति पत्र प्रस्तुत किया था। संभागीय आयुक्त भरतपुर कार्यालय द्वारा आदेश

दिनांक 11.08.2011 द्वारा जिसमें उल्लेख है कि अजय कुमार सैनी एवं अपीलार्थी मुकेश चन्द सैनी जिनकी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 2003 में हुई है, जिन पदों पर पदस्थापित हैं, वो पद पूर्णतया अस्थायी प्रकृति के हैं और इस कारण संभागीय आयुक्त, भरतपुर कार्यालय स्तर पर इनकी वरीयता निर्धारण नहीं की जा सकती। अतः कार्यालय के पदों के स्थायी होने एवं कार्यालय स्तर की वरिष्ठता सूची जारी होने तक उक्त कार्मिकों की वरीयता का निर्धारण करा अवगत करावें तथा इन्हें जिले में नियमानुसार वरीयता के लाभ दिये जावें और इस प्रकार अपीलार्थी स्वयं स्थायी पद पर धारित नहीं था। अपीलार्थी ने जानबूझकर यह पत्र दिनांक 11.08.2011 प्रस्तुत नहीं किया। उनका निवेदन है कि आरएसआर नियम 15 में लियन अर्जन का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम एस एन तिवाड़ी एवं मध्य प्रदेश राज्य बनाम संध्या तोमर के प्रकरण में पारित निर्णय की तरफ ध्यान आकर्षित किया। अपीलार्थी अस्थाई पद पर कार्यरत रहने से संभागीय आयुक्त कार्यालय में लियन अर्जित नहीं कर सकता (अनुलग्नक–आर/5–3)। कलेक्टर सवाई माधोपुर कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.10.2012 जिसमें अपीलार्थी के लियन की समाप्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अभय कुमार शर्मा अपीलार्थी से काफी वरिष्ठ है और उसकी नियुक्ति 16.12.1994 को अनुकम्पात्मक आधार पर हुई थी तथा वर्ष 2006 में स्थायी किया गया। वहीं दूसरी ओर अपीलार्थी की नियुक्ति 17.04.2003 में हुई और उसे 31.01.2004 को स्थायी किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर आदेश दिनांक 30.10.2012 के द्वारा एवं सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर जिसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के नाम से जाना जाता है। आदेश दिनांक 10.11.2015 के द्वारा पदोन्नत किया गया। वहीं दूसरी तरफ अपीलार्थी को लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर आदेश दिनांक 30.08.2016 को और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 27.05.2020 को तथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 24.06.2022 के द्वारा पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 12.05.2025 के द्वारा तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जा रहा है (अनुलग्नक–आर/5–4)।

उनका यह भी तर्क है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी की अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में भरतपुर कार्यालय द्वारा दिनांक 08.09.2016 को जारी की गई, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम था और विभाग द्वारा जिसमें आपत्तियां मांगी गई, परंतु तत्समय अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति

दर्ज नहीं की गई और लम्बे समय अंतराल बाद अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष मामला प्रस्तुत किया है, जो पूरी तरह आधारहीन है। जिला कलेक्टर, करौली द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी की 01.04.2016 की स्थिति में वरिष्ठता सूची दिनांक 21.10.2016 को जारी की गई, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम भी जोडा गया। एक ही समय दो जगह वरिष्ठता सूची में नाम होने के आधार पर संभागीय आयुक्त, भरतपुर कार्यालय के आदेश दिनांक 09.11.2016 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम करौली की वरिष्ठता सूची में विलोपित करने के लिये कहा गया और दिनांक 01.04.2017 के अनुसार निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम जिला करौली कार्यालय की वरिष्ठता सूची से विलोपित कर दिया गया तथा संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.05.2017 द्वारा वरिष्ठता के क्रम में आपत्ति मांगी गई, परंतु अपीलार्थी द्वारा तत्समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। संभागीय आयुक्त भरतपुर के द्वारा दिनांक 30.08.2016 को इस कार्यालय में लियन की सहमति मांगी गई, जिस पर निजी प्रत्यर्थी ने 31.08.2016 को अपनी सहमति दी। संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिनांक 08.09.2016 को जारी सहायक कार्यालय अधीक्षक को वरिष्ठता सूची में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई एवं दिनांक 30.09.2016 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिस पर कलक्टर करौली ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम सहायक कार्यालय अधीक्षक की वरिष्ठता सूची से हटा दिया और लम्बे समय पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त प्रकरण अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अधिकरण द्वारा दिनांक 23.07.2019 को स्थगन आदेश जारी किया गया। तब से अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु कोई विचार नहीं किया गया और न ही पदोन्नति दी गई। कलक्टर करौली के पत्र दिनांक 01.07.2020 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कलक्टर करौली में लियन समाप्त कर दिया (अनुलग्नक–आर/5–7)। राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 29.05.2019 में यह कहा है कि विवाद की दशा में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण कर लिया जावे। राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 30.12.2020 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का पदस्थापन यथावत संभागीय आयुक्त कार्यालय में करने हेतु लिखा है (अनुलग्नक–आर/5–8)। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के तीन बच्चों की शिकायत जांच के निराधार पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी एवं लोकायुक्त द्वारा जांच समाप्त कर दी (अनुलग्नक–आर/5–9)। अपीलार्थी की अपील गलत तथ्यों पर आधारित होने एवं तथ्य छिपाने के आधार पर खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उठाया गया कदम अनुचित है। अतः

अपील खारिज फरमाई जावे। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील की लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधिकरण ने आदेश दिनांक 23.07.2019 द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया कि प्रत्यर्थी विभाग आगामी आदेश तक श्री अभय कुमार शर्मा का समायोजन संभागीय आयुक्त कार्यालय भरतपुर में नहीं करे।

अपील संख्या 3877/2019 के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

यह हस्तगत अपील अपीलार्थी के संभागीय आयुक्त भरतपुर से जिला कलक्टर करौली के किए गए स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की जाकर इसे अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है। परंतु बहस के दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि इसके पश्चात अन्य स्थानान्तरण आदेश जारी हो गया है। उपलब्ध दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान में संभागीय आयुक्त भरतपुर कार्यालय में कार्यरत है। ऐसी दशा में यह आलौच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं उपरोक्त दोनों अपीलों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपील संख्या 1850/2019 में अपीलार्थी मुकेश चन्द सैनी एवं अपील संख्या 3877/2019 में अपीलार्थी अभय कुमार शर्मा के संबंध में दोनों अपीलों के तथ्य एवं अपील के जवाब तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति अनुकम्पात्मक आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई।

प्रस्तुत अपील संख्या 1850/2019 में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष यह है कि कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद की रिक्ति वर्ष 2016–17 से प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों का निर्धारण कर और रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को शामिल किया जाकर पदोन्नति प्रदान करें एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में समायोजन नहीं करे और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को

तीसरी संतान होने के कारण पदावनति की जावे। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 5 का लियन भी प्रत्यर्थी संख्या 4 के कार्यालय में यथावत रखा जावे।

अपीलार्थी द्वारा चाहे गये प्रथम अनुतोष के संबंध में निवेदन है कि पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी को संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर के लिए स्थाई पद स्वीकृत होने पर आदेश दिनांक 31.01.2014 द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्थायीकरण किया गया है। इसके पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.08.2016 के द्वारा वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध लिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 27.05.2020 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई और वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 24.06.2022 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई, जो दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी मानी गई है यद्यपि यह पदोन्नति आदेश अधिकरण में लम्बित इस अपील के निर्णयाधीन है। हम पाते हैं कि अपीलाथी का सेवा में स्थायीकरण संभागीय आयुक्त कार्यालय में कैडर के निम्नतम पद कनिष्ठ लिपिक पर होने से अपीलार्थी संभागीय आयुक्त भरतपुर के कैडर का कार्मिक है एवं उसे नियमानुसार संभागीय आयुक्त भरतपुर कार्यालय में पदोन्नतियां मिल चुकी हैं। अतः प्रथम अनुतोष के संबंध में कुछ शेष नहीं रहता है। अतः यह अनुतोष सारहीन हो गया है।

जहां तक निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में समायोजन का विषय है। पत्रावली पर जिला कलेक्टर, करौली द्वारा संभागीय आयुक्त, भरतपुर को पत्राचार एवं संभागीय आयुक्त भरतपुर का राजस्व मण्डल, अजमेर और राज्य सरकार के साथ किये गये पत्राचार से यह स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का आदेश दिनांक 18.05.2015 के द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर संभागीय आयुक्त, भरतपुर में समायोजन/पदस्थापन किया जाने का आदेश संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के संभागीय आयुक्त कार्यालय में समायोजन एवं लियन के संबंध में संभागीय आयुक्त भरतपुर के पत्र दिनांक 23.04.2019 के संदर्भ में राजस्व मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 29.05.2019 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के अनुसार ''वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक कार्यालय अधीक्षक का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद होने से स्थानान्तरण होने पर भी इनका लियन कार्मिक के पैतृक विभाग में ही रहता है।

यह मात्र पद समाप्ति एवं राज्यादेश से समायोजन के उपरान्त ही संभव हो सकता है। समायोजन के संबंध में राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करावें।'' जिला कलेक्टर, करौली द्वारा संभागीय आयुक्त, भरतपुर के समायोजन आदेश दिनांक 18.07.2015 के पश्चात् निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 10.11.2015 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिससे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार कर लिया। यदि निजी प्रत्यथी का आदेश दिनांक 18.05.2015 द्वारा संभागीय आयुक्त भरतपुर में समायोजन किया जा चुका है, तो फिर कलक्टर करौली ने किस आधार पर दिनांक 21.10.2016 को सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 ने इस पदोन्नति को स्वीकार किया गया है। पदोन्नति पश्चात सहायक कार्यालय अधीक्षक दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में दिनांक 21.10.2016 को जारी कलेक्टर, करौली की वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम दर्ज है। इधर संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में सहायक कार्यालय अधीक्षक की जारी वरिष्ठता सूची में भी निजी प्रत्यर्थी का नाम अंकित है। आरएसआर के नियम 19 में लियन हस्तान्तरण की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा संभागीय आयुक्त, भरतपुर को चाहे गये मार्गदर्शन पर प्रेषित जवाब अनुलग्नक–8 में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया गया हैः– *''वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक कार्यालय अधीक्षक का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद होने से स्थानान्तरण होने पर भी इनका लियन कार्मिक के पैतृित विभाग में ही रहता है। ये मात्र पद समाप्ति एवं राज्यादेश से समायोजन के उपरांत ही संभव हो सकता है। आपके कार्यालय के आदेश दिनांक 18.05.2015 के द्वारा किये गये समायोजन के संबंध में राज्य सरकार से समस्त स्वीकृति प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करावें।''*

हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की वरिष्ठता संभागीय आयुक्त कार्यालय भरतपुर में रखे जाने के लिए संभागीय आयुक्त भरतपुर को पत्र दिनांक 30.09.2021 से निर्देशित किया है। वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की वरिष्ठता न ही कलक्टर करौली द्वारा संधारित की जा रही एवं न ही संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा संधारित की जा रही है, जबकि उसे एक स्थान पर अपनी वरिष्ठता धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अतः राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक 30.09.2021 से निजी प्रत्यर्थी की वरिष्ठता का संधारण संभागीय आयुक्त कार्यालय भरतपुर में किया जाना अपेक्षित है। वरिष्ठता निर्धारण हेतु सामान्य

नियमानुसार निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की वरिष्ठता इस तिथि को संभागीय आयुक्त भरतपुर में तत्समय कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के नीचे निर्धारित करना अपेक्षित है।

हमारा मत है कि राज्य सरकार द्वारा सेवा नियमों के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को उसके पैतृक विभाग से अन्य विभाग में समायोजन करने की शक्तियां निहित है एवं कार्मिक की इच्छा पर लियन हस्तान्तरित किया जा सकता है। इस संबंध में अपीलार्थी को कोई ऐतराज किये जाने का आधार नहीं होता है, जब तक कि उसके हित प्रतिकूल प्रभावित नहीं होते है। जहां तक अपीलार्थी के दो से ज्यादा बच्चों की जांच का बिन्दु है, वह शिकायत लोकायुक्त एवं राजस्व मण्डल द्वारा आधारहीन होने के आधार पर पत्रित की जा चुकी है। अपीलार्थी की नियमानुसार पदोन्नति हो चुकी है। अतः अपील संख्या 1850/2019 में अब कोई सार नहीं रहने से अपील सारहीन हो गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अपील संख्या 3877/2019 में अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थानान्तण आदेश दिनांक 29.09.2019 को चुनौती दी गई है। बहस के दौरान अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आलौच्य आदेश के बाद अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध अन्य आदेश जारी किया जा चुका है। अपील पर भी इस संबंध में तथ्य उपलब्ध है। संभागीय आयुक्त भरतपुर के पत्र दिनांक 07.06.2024 से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संभागीय आयुक्त भरतपुर में कार्यरत है। इस प्रकार आलौच्य स्थानान्तरण आदेश वर्तमान में प्रभाव में नहीं होने से इस अपील में कोई सार शेष नहीं है। अतः यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील संख्या 1850/2019 एवं 3877/2019 को सारहीन हो जाने के आधार पर खारिज किया जाता है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1850/2019 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.07.2019 को प्रवकाश (Vacate) किया जाता है।

निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या 1850/2019 की पत्रावली पर रखी जावे एवं छायाप्रति अपील संख्या 3877/2019 की पत्रावली पर रखी जावे।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**